न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 26/2013

तारीख दायरा : 05.02.2013

उनवान

1. राजेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र सोहन उर्फ सोनिया।
2. अमरसिंह पुत्र सोहन उर्फ सोनिया।
3. सरदारा पुत्र सोहन उर्फ सोनिया।
4. मोहर सिंह पुत्र सोहन उर्फ सोनिया जातियान अहीर निवासीयान गोपीपुरा तहसील मुण्डावर।

.......वादीगण।

बनाम

1. बिहारी पुत्र फूसा जाति अहीर निवासी गोपीपुरा तहसील मुण्डावर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर। ....प्रतिवादीगण।

(इस्तकराहक अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट)

उपस्थिति :–1. श्री श्रीपाल चौधरी, अधिवक्ता ....वादीगण की ओर से ।
2. श्री जगन्नाथ, अधिवक्ता ....प्रतिवादी स.1 की ओर से।

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक: **09.07.2019**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी गत ख.न. 429/42 रकबा 3.09 बीधा जिसके हाल ख.न. 64 रकबा 0.98 एयर वाके ग्राम गोपीपुरा है विवादित आराजी है। उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी पडदादा तुल्ला के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी पर मिन वादीगण के पडदादा व उसके बाद दादा हरभगत व उसके पिता पिता सोहन उर्फ सोनिया व उसके बाद मिन वादीगण कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। देवीसहाय पुत्र तुल्ला लावल्द फौत हो गया था जिसके विधिक वारिसान मिन वादीगण है। काश्तकारी अधिनियम के समय मिन वादीगण के पिता व मिन वादीगण काबिज आराजी रहे है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त मृतक देवीसहाय पुत्र तुल्ला मालिक दर्ज चला आ रहा है तथा जमाबन्दी स. 2013 में मुरली हिस्सेदार का अकंन गलत दर्ज कर दिया जो दुरूष्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर प्रतिवादी ने दिनांक 10.11.2008 को जबरन कब्जा करने का प्रयास किया व ऐलानिया धमकी देने पर गलत इन्द्राज की जानकारी वादीगण को हुई। अतः उक्त आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न.1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी देवीसहाय की खातेदारी की आराजी थी। तुल्ला के एक ही लडका परसा है तथा परसा के भी एक ही लडका हरभगत है।जबकि तुल्ला के पॉच व परसा के चार लडके थे। देवीसहाय पुत्र तुल्ला की विरासत से भी वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। काश्तकार अधिनियम 1955 के लागू होने के समय वादीगण के पिता सोहन का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं था बल्कि काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय व उससे पूर्व मुरली हिस्सेदार काबिज काश्त रहा है इसलिए मुरली को खातेदारी अधिकार हासिल हो गये। मुरली द्वारा उक्त आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20.10.75 से गणपत महाजन को बेचान कर दिया तथा गणपत महाजन ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.06.77 के विवादित आराजी को प्रतिवादी को बेचान कर दिया। वादीगण ने तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया है। अतिरिक्त कथन में उल्लेख किया गया है कि दोनों बयनामों के आधार पर इतंकाल दर्ज हो चुके है तथा बयनामा व इतंकाल को वादीगण ने कहीं चुनौती नहीं दी है। अत : वादीगण का दावा खारिज किया जावे।

उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान् की साक्ष्य लेखबद्व की गई। वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में स्वंय वादी राजेन्द्र पी.ड.1 एवं वादी सख्या 2 अमरसिंह पी.ड.2 को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में बिहारी डी.ड.1, किशनलाल डी.ड.2 एवं अमरसिंह पुत्र लहरी डी.ड.3 को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणो की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता वादीगण का तर्क है किविवादित आराजी पर मिन वादीगण के पडदादा व उसके बाद दादा हरभगत व उसके पिता पिता सोहन उर्फ सोनिया व उसके बाद मिन वादीगण कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। देवीसहाय पुत्र तुल्ला लावल्द फौत हो गया था जिसके विधिक वारिसान मिन वादीगण है। काश्तकारी अधिनियम के समय मिन वादीगण के पिता व मिन वादीगण काबिज आराजी रहे है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त मृतक देवीसहाय पुत्र तुल्ला मालिक दर्ज चला आ रहा है तथा जमाबन्दी स. 2013 में मुरली हिस्सेदार का अकंन गलत दर्ज कर दिया जो दुरूष्त किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। मुरली द्वारा गणपत को व गणपत द्वारा प्रतिवादी को किया जाना बेचान अवैध है तथा बयनामा के आधार पर दर्ज इतंकाल भी वादीगण के विरूद्व बातिल व बेअसर है। मुरली ने गलत अकंन का फायदा उठाकर बेचान किया गया है इसलिए बयनामा व इतंकाल को शून्य प्रभावी घोषित किया जावे तथा वादीगण को आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क है कि दावे के जि.न.10(1) में सम्पूर्ण रकबे का अनुतोष वादीगण द्वारा चाहा गया है जबकि बहस के समय 1/3 भाग का अनुतोष चाह रहे है। वादीगण द्वारा जो बहस की गई है वह दावे की प्लीडिंग्स से बाहर है। काश्तकारी कानून लागू होने के समय बिहारी काबिज काश्त हिस्सेदार था इसलिए उसे खातेदारी राईटस प्राप्त हो गये। तत्पश्चात् उसके द्वारा भूमि का बेचान गणपत को कर दिया गया तथा गणपत द्वारा उक्त आराजी का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी को कर दिया गया। प्रतिवादी उक्त आराजी का सद्‌भवी क्रेता है। वादीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आये है इसलिए दावा वादीगण खारिज किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

तनकी न. 1 :– आया हाल आराजी ख.न. 64 रकबा 0.98 वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर के वादीगण समान भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम हजफ कराने के अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल स.2029 प्रदर्श–5 के अनुसार हाल ख.न.64 रकबा 0.98 साबिक ख.न.42 मिन रकबा 3.15, 44 मिन रकबा 0.02, से बना है। वादीगण का कथन है कि स. 2013 में मुरली हिस्सेदार का अकंन गलत दर्ज कर दिया। जमाबन्दी स. 2013 प्रदर्श–3 में साबिक ख.न. 42 पर देवीसहाय वल्द तुल्ला का नाम दर्ज है तथा मुरली हिस्सेदार का अकंन दर्ज है। स. 1993 में देवीसहाय की खुदकाश्त दर्ज है। जमाबन्दी स. 2005 प्रदर्श ए–1 के अनुसार साबिक ख.न.42 देवीसहाय वल्द तुल्ला अहीर की खुदकाश्त दर्ज है। जमाबन्दी स.2009 सन् 1952 में उक्त साबिक खसरे पर मुरली हिस्सेदार का अकंन दर्ज है। इसी प्रकार स. 2013 में मुरली हिस्सेदार का अकंन दर्ज है। जमाबन्दी स.2016 प्रदर्श–4 में मुरली उक्त आराजी का मालिक दर्ज है तथा स.2021 की जमाबन्दी प्रदर्श ए–5 में मुरली पुत्र परसा खातेदार दर्ज है।

इस प्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी स.2009 में मुरली हिस्सेदार था जो इन्द्राज स.2016 तक रहा है तथा उसके उपरान्त स.2021 में खातेदार दर्ज हुआ है। चूंकि मुरली आर.टी.एक्ट लागू होने के पूर्व से ही उक्त आराजी पर हिस्सेदार दर्ज था इसलिए बाई ऑपरेशन आफ लॉ मुरली को खातेदारी राईट्स प्राप्त हो गये। यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि राजस्थान काश्तकारी कानून के लागू होने के समय जो व्यक्ति जिस भूमि पर काबिज काश्त था उसे खातेदारी अधिकार प्रोद्‌भूत हो गये।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

स.2009 की जमाबन्दी के अनुसार प्रतिवादी का यह कथन पूर्णतः साबित होता है कि आर.टी.एक्ट लागू होने के समय मुरली काबिज काश्त था। वादीगण का यह कथन कि मुरली का नाम गलत रूप से हिस्सेदार के कॉलम में अंकित किया गया स्पष्ट रूप से साबित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप हम यह पाते है कि विवादित आराजी के मुरली को खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके थे जिसमें किसी प्रकार की दुरूप्ती किये जाने की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा वादीगण तनकी न.1 को साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी न.1 विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

तनकी न.2:–आया वादीगण प्रतिवादीगण को हुक्मइन्तनाई दवामी से पावन्द कराने के अधिकारी है।

चूंकि वादीगण उक्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इसलिए स्थाई निषेघाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। अतः तनकी न.2 विरूद्व वादी तय की जाती है।

तकनी न.3 :–आया विवादित आराजी का मुरली द्वारा गणपत महाजन के हम में बयनामा दिनांक 20.10.75 व गणपत महाजन द्वारा प्रतिवादी के हक में कराये गया बयनामा दिनांक 30.06.77 व इनके आधार पर दर्ज इतंकालो को वाद में चैलेन्ज नहीं किया गया है इसलिए दावा काबिज खारिज है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी का कथन है कि विवादित आराजी का मुरली द्वारा दिनांक 20.10.75 को गणपत को बयनामा करवा दिया गया था तथा गणपत द्वारा प्रतिवादी को दिनांक 30.6.1977 को बयनामा करवा दिया गया था। पत्रावली में उक्त दोनों बयनामों की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध है जिससे प्रतिवादीगण के उक्त कथन की ताईद होती है। वादीगण ने उक्त दोनों बयनामों के बारे में अपने वाद पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है और ना ही इन्हे बातिल व बेअसर करार दिये जाने का अनुतोष अपने वाद पत्र में चाहा गया है। यद्यपि वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा.दी. के तहत पेश कर दावे में संशोधन की अनुज्ञा चाही गई थी परन्तु वादीगण का यह प्रार्थना पत्र सारभूत तथ्यों से परे होने के कारण अनुज्ञा नहीं दी गई। वाद पत्र में बयनामों के बारे में कोई उल्लेख नहीं करना तथा वक्त बहस बयनामों के बारे में प्रभावशून्य घोषित कराने का अनुतोष चाहना भी तर्कसंगत नहीं है। वादीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी प्लीडिंग्स से बाहर अनुतोष चाहा गया है जो विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त दोनों बयनामों एवं उनके आधार पर हुये इतंकालो को वादीगण ने वाद पत्र में चुनौती नहीं दी गई और ना ही बयनामों को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा ऐसा प्रलेखीय साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि उसके द्वारा बयनामों को चुनौती दी गई है। अतः तनकी न. 3 बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी न.4 :–आया विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है और ना ही कभी रहा है।

तनकी न.5 :– आया प्रतिवादी ने विवादित आराजी पर बोरिंग, विद्युत कनैक्शन करा रखे तथा कोटडी बना रखी है जिससे वादी का वाद गैर काबिज काबिल खारिज है।

उपरोक्त दोनों तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। पी.ड.1 स्वयं वादी राजेन्द्र ने अपने मौखिक साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर आज के दिन प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। पी.ड.2 ने भी अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में आराजी का बेचान होना व प्रतिवादी का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। इस प्रकार स्वयं वादीगण की स्वीकारोक्ति है कि विवादित आराजी पर कब्जा वादीगण का नहीं होकर प्रतिवादी का है। जब कब्जा काश्त ही प्रतिवादी का वादीगण स्वीकार करते है तो यही उपधारणा की जावेगी कि विवादित आराजी पर बोरिंग व विद्युत कनैक्शन भी प्रतिवादी का ही स्थापित है। अतः तनकी न. 4 बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के समग्र विवेचन के फलस्वरूप हम यह पाते है कि वादीगण अपना दावा साबित करने में असफल रहे है लिहाजा दावा वादीगण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दावा वादीगण बाबत आराजी ख.न. 64 रकबा 0.98 वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

(योगेश कुमार डागुर)
09.7.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

निणर्य आज दिनांक 09.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
09.7.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 26/2013

तारीख दायरा : 05.02.2013

उनवान

1. राजेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र सोहन उर्फ सोनिया।
2. अमरसिंह पुत्र सोहन उर्फ सोनिया।
3. सरदारा पुत्र सोहन उर्फ सोनिया।
4. मोहर सिंह पुत्र सोहन उर्फ सोनिया जातियान अहीर निवासीयान गोपीपुरा तहसील मुण्डावर।

......वादीगण।

बनाम

1. बिहारी पुत्र फूसा जाति अहीर निवासी गोपीपुरा तहसील मुण्डावर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर। ....प्रतिवादीगण।

(इस्तकराहक अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट)

पर्चा डिक्री दिनांक :: 09.07.2019

दावा वादीगण बाबत आराजी ख.न. 64 रकबा 0.98 वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील मुण्डावर खारिज किया जाता है।

(योगेश कुमार डागुर)
09.7.19

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner